



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]
No. 28]नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2008/पौष 18, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2008/PAUSA 18, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2008

का.आ. 40(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रीट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश को न्यूजप्रीट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाए।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. न्यूजप्रीट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

- (1) देशी न्यूजप्रीट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
“81. मैसर्स श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एरिया-1, रायबरेली, उत्तर प्रदेश राज्य।”

[फा. सं. 4(1)/2006-कागज]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के आदेश सं. का.आ. 1967(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

82 GI/2008

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 7th January, 2008

S.O. 40(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

- (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2008.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

- (1) in item 4 relating to the name of the mill and location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 80 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—
“81. M/s. Shree Bhawani Paper Mills Limited, Industrial Area-I, Rae Bareilly, in the State of Uttar Pradesh.”

[F. No. 4(1)/2006-Paper]

N. N. PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended vide Order No. S.O. 1967(E) dated 21st November, 2007 published in the Gazette of India.